

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के कसडोल तहसील अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल कार्य हेतु वनभूमि 2.350 हे. क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बाबत।

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/153020/2022

1.	परियोजना का नाम	कसडोल-कुहरी, अथरगुडी, पंडरीपानी मार्ग ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	2.350 हे.		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
		बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	कसडोल-कुहरी, अथरगुडी, पंडरीपानी मार्ग
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हे.मे)
	क. सीमांकित संरक्षित वन	-	257	0.072
		-	258	0.048
		-	262	0.019
		-	320	0.015
		-	329	0.035
		-	324	0.020
		योग :-		0.209
	ख. आरक्षित वन	-	135	0.071
		-	137	0.019
		-	133	0.048
		-	212	0.103
		-	211	0.199
		-	208	0.045
		-	207	0.134
		-	227	0.020
		-	230	0.031
		-	226	0.036
		-	235	0.046

		—	240	0.022
		—	223	0.086
		—	247	0.031
		—	241	0.140
		—	242	0.103
		—	243	0.113
		—	244	0.075
		—	246	0.088
		—	436	0.065
		—	415	0.061
		—	408	0.230
		—	406	0.093
		—	405	0.070
		—	416	0.098
		योग :-		2.027
	ग. नारंगी वनक्षेत्र	—	143	0.008
		—	184	0.027
		—	224	0.010
		—	321	0.019
		योग :-		0.064
	घ. राजस्व वनभूमि	—	—	0.050
		महायोग :-		2.350
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति/प्रकार	आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाईन विद्यमान राईट-ऑफ-वे के सीमा में ही किया जाना है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों में मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य है		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	—		
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	नहीं।		

11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- कसडोल-कुहरी, अथरगुढी, पंडरीपानी मार्ग।

दिनांक :- 22/07/2022


कृष्णा राम बड़ाई
(भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार